


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल --दोवनी.....)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 358/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.स.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	दोवनी	158	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>श्री देवीलाल पिता नंदराम बेरवा सा. देह राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धमाना</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम-दोवनी..... प.ह.------खातासं..... 158..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>	
		हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदाकर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पटवार हस्ताक्षर, चित्तौड़गढ़ तह. कपासन, चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)